Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 5059 / 2003 / दौसा** **नारायण बनाम प्रेमचंद (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अयूब खान, अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) श्री खडगसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांक : 22 मई, 2018**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 50/1996 शीर्षक नारायण आदि बनाम प्रेमचंद आदि में पारित निर्णय दिनांक 13–6–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा सहायक जिलाधीश, महुवा के निर्णय दिनांक 11–6–1996 को यथावत रखते हुए अपील खारिज की गई।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार विद्वान सहायक कलक्टर, महुवा ने अपने समक्ष जैरकार प्रकरण संख्या 114/1989 अन्तर्गत धारा 212, अधिनियम शीर्षक सूरजदेवी बनाम प्रेम में वादी/वर्तमान अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27–9–1989 को इस आशय की पारित की कि विवादित आराजी में खड़ी फसल की यथास्थिति रखे, कोई परिवर्तन नहीं करे। अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र संख्या 135/1989 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए, जाप्ता दीवानी शीर्षक प्रेमचंद बनाम सूरजदेवी आदि न्यायालय सहायक कलक्टर, महूवा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना वादी/वर्तमान प्रार्थी द्वारा की गई है। विद्वान सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 11–6–1996 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान प्रार्थी को 10 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। विद्वान सहायक कलक्टर, महूवा के निर्णय दिनांक 11–6–1996 के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण ने प्रथम अपील संख्या 50/1996 शीर्षक नारायण आदि बनाम प्रेमचंद आदि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा ने अपने निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 5059 / 2003 / दौसा</u>** **नारायण बनाम प्रेमचंद (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 13-6-2003 के द्वारा अपील खरिज कर दी, जिससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-ए, जाप्ता दीवानी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27-9-1989 की अवहेलना दिनांक 28-9-1989 को की गई है, जबकि पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 107/1989, पुलिस थाना, मण्डावर के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना दिनांक 27-9-1989 को की जाना अंकित किया गया है। दिनांक 27-9-1989 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावशील नहीं थी। प्रार्थना पत्र संख्या 135/1989 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-ए, जाप्ता दीवानी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 107/1989 में वर्णित तिथियां अलग-अलग है। घटनाक्रम की तिथियां अलग-अलग होने से यह संदेहास्पद है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना की गई हो। इस संदेह का फायदा वर्तमान प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित है।

5- फलस्वरूप, हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर, महूवा का निर्णय दिनांक 11-6-1996 तथा विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा का निर्णय दिनांक 13-6-2003 निरस्त किये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 5059 / 2003 / दौसा</u>** **नारायण बनाम प्रेमचंद (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से 3 घटक, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बाबत विचार किया जाना है। प्रार्थीया सोनादेवी द्वारा अपनी पुत्री राजबाला के पक्ष में किये गये हक त्याग पत्र के आधार पर राजबाला को क्या अधिकार प्राप्त होगे और राजबाला द्वारा आगे भूमि स्थानान्तरण करने के पश्चात जिसके पक्ष में हक त्या प्रत्र निष्पादित किया गया है, उसको क्या अधिकार प्राप्त होंगे, यह मूल वाद में साक्ष्य द्वारा तय होना है। यदि दौराने दावा भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित अथवा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में एक प्रकार से पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व को ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 5059 / 2003 / दौसा** **नारायण बनाम प्रेमचंद (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तय कर दिया है। 8– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनूं का निर्णय दिनांक 11–5–2017 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26–10–2012 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शंकर लाल शर्मा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 5059 / 2003 / दौसा** **नारायण बनाम प्रेमचंद (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए